दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

ज़मानत अर्ज़ी 3295/2021

<u>निर्णय सुरक्षित किया गया: 20.09.2021</u>
<u>निर्णय की तिथि: 21.09.2021</u>

राजेंदर सिंह ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुनील दलाल, वशिष्ठ अधिवक्ता सह श्री सी.एम. संगवान, और श्री देवाशीष भदौरिया, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: राज्य के लिए अति.लो.अभि. सुश्री आशा तिवारी, उप.नि. विक्रांत सिंह स्पेशल सेल |

कोरम :
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

<u>आदेश</u>

निर्णय

न्या. अनु मल्होत्रा

1. प्रार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत वर्तमान अर्ज़ी के माध्यम से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B/198/199/200/420/468/471 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 151/2021, थाना स्पेशल सेल (लोधी कॉलोनी, दिल्ली) के संबंध में यह निवेदन करते हुए अग्रिम ज़मानत की मांग की है कि उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी/198/199/200/420/468/471 के तहत घटित कथित दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

2. वर्तमान मामले में प्राथमिकी की उत्पत्ति एमसीओसी अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी संख्या 252/2018 थाना अलीपुर के

संबंध में वर्तमान आवेदक के बेटे योगेश उर्फ़ टुंडा द्वारा दायर एक अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी है, जिसमें आवेदक के पुत्र ने इस आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अर्ज़ी दिनांकित 27.05.2021 दिनांक 28.05.2021 को दायर किया कि उसके पिता, अर्थात

आवेदक कोविड-19 से संक्रमित हैं। माननीय विचारण न्यायालय ने उक्त आख्या के सत्यापन का निर्देश दिया और यह पाया गया कि कोविड-19 आख्या जाली थी क्योंकि कोविड-19 की मूल आख्या नकारात्मक थी। योगेश उर्फ़ टुंडा द्वारा दायर अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर एसीपी/एनडीआर (स्पेशल सेल, दिल्ली) हृदय भूषण, के हस्ताक्षर के तहत दायर दिनांक 28.05.2021 के उत्तर के माध्यम से, यह कहा गया कि वास्तविक कोविड आख्या नकारात्मक थी और इसे स्पाइस हेल्थ मुख्यालय से मेल के माध्यम से और परीक्षण प्रयोगशाला से शारीरिक रूप से सत्यापन के साथ-साथ ऑनलाइन भी सत्यापित किया गया था। स्पाइस हेल्थ की आख्या को इस स्थिति आख्या के साथ रखा गया है जिसे राज्य द्वारा वर्तमान आवेदन के साथ योगेश उर्फ़

टुंडा द्वारा इस आधार पर दायर अंतरिम जमानत आवेदन के जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया था कि उनके पिता, यानी यहां आवेदक, कोविड 19 से पीड़ित हैं। स्पाइस हेल्थ लैब की दिनांक 26.05.2021 की आख्या में 53 साल के राजेंदर, पुरुष मोबाइल नंबर 8383968884 के संबंध में SARS-CoV-2 गुणात्मक RT PCR परीक्षण में नकारात्मक परिणाम दिखाया गया है। नमूना आईडी 0708501579954 के रूप में उल्लिखित है जिसके संबंध में नमूना दिनांक 25.05.2021 को प्राप्त होने का संकेत दिया गया है। वर्तमान आवेदक के पुत्र योगेश द्वारा दिनांक 27.05.2021 को दायर अंतरिम जमानत आवेदन संलग्न किया गया था, हालांकि, नमूना आईडी संख्या 0708501579954 के संबंध में राजेंद्र, मोबाइल नंबर 8178861975 के SARSCoV-2 गुणात्मक आरटी पीसीआर परीक्षण के संबंध में स्पाइस हेल्थ लैब की आख्या का परिणाम सकारात्मक दिखाया गया।

3. आदेश दिनांक 29.05.2021 द्वारा माननीय विचारण न्यायालय ने जांच अधिकारी की आख्या के आलोक में आवेदक के वकील से

लिखित स्पष्टीकरण मांगा कि योगेश उर्फ़ टुंडा द्वारा अंतरिम ज़मानत प्राप्त करने के लिए एक जाली दस्तावेज दाखिल की गई थी। योगेश उर्फ़ टुंडा के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के. शर्मा ने अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 07.06.2021 को दिया था कि गौरव पुत्र श्री अशोक अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए उनसे संपर्क किया था और यह कि इस वकील ने, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307/506/120बी/34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की सहपठित धारा 25 और 27 के तहत प्राथमिकी 14/19, थाना अलीपुर में उसकी जमानत याचिका में उक्त गौरव की पैरवी की थी जिस मामले में जमानत आवेदन संख्या 996/2021 में आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा न्यायलय ने उक्त गौरव को जमानत दे दी थी और गौरव ने आरोपी योगेश उर्फ़ टुंडा की अंतरिम जमानत अर्जी उन्हें भेजी थी और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा था जिसमें पुष्टि की गई थी कि आरोपी योगेश उर्फ़ टुंडा के पिता कोविड पॉजिटिव हैं। अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से, श्री जे.के.

शर्मा ने यह भी कहा कि एक सामान्य जांच पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि चिकित्सा संबंधी दस्तावेज सत्यापन योग्य और वास्तविक दस्तावेज हैं और एक वकील के रूप में, उनके पास दस्तावेज की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए न तो कारण थे और न ही संसाधन थे। और यह भी निर्देश दिया गया था कि संबंधित जेल अधीक्षक को अपने ई-मेल के माध्यम से विधिवत भरा हुआ वकालतनामा भेजा जाए और उसे विधिवत प्रमाणित किया गया और उसे ई-मेल के माध्यम से उनको वापस भेज दिया गया। विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के. शर्मा ने आगे कहा कि उन्हें अगली तारीख पर कानूनी मुआवजा का भुगतान करने का वादा किया गया था और इस प्रकार उन्होंने 27.05.2021 को चिकित्सा दस्तावेजों के साथ-साथ वकालतनामा द्वारा समर्थित जमानत आवेदन ऑनलाइन भेज दिया था। लेकिन उक्त गौरव से संपर्क नहीं हो सका और जमानत अर्जी की सुनवाई की तारीख को भी न तो उक्त गौरव की ओर से उसके कानूनी मुआवजे के संबंध में और न ही किसी अन्य की ओर से कोई

संपर्क किया गया, जिससे उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई और चूंकि कोई आगे नहीं आ रहा था, इसलिए उनहोंने जमानत अर्जी वापस लेने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनको निशुल्क अर्ज़ी दायर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

4. आगे विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के. शर्मा के इस स्पष्टीकरण के माध्यम से कहा गया कि वह माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए लेकिन यह जानकर दंग रह गए कि पुलिस ने उक्त मेडिकल दस्तावेज का सत्यापन किया था, जिसे कथित रूप से आरोपी योगेश उर्फ़ टुंडा के पिता की कोविड पॉजिटिव स्थिति की पुष्टि के लिए पेश किया गया था और यह कि वकील ने सुनवाई के समय अदालत को सब कुछ बता दिया था।

5. आदेश दिनांक 07.06.2021 द्वारा माननीय विचारण न्यायालय ने एमसीओसी अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत दर्ज प्राथमिकी 252/2018 थाना अलीपुर के संबंध में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली योगेश उर्फ़ टुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि,

माननीय विचारण न्यायालय ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, क्यूंकि दस्तावेज़ जाली था और उस दस्तावेज़ के आधार पर न्यायालय से एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और यह भी टिपण्णी की कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किए गए हैं और जाहिर तौर पर इन अपराधों को करने की साजिश थी जिसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

6. इस प्रकार वर्तमान प्राथमिकी संख्या 151/2021 को दिनांक 10.06.2021 को दर्ज किए जाने का संकेत मिलता है।

7. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के संबंध में राज्य द्वारा दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत स्थिति आख्या के अनुसार, राज्य द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि गौरव का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान, गौरव ने बताया कि जाली कोविड आख्या का स्रोत वर्तमान याचिकाकर्ता राजेंद्र, आरोपी योगेश उर्फ़ टुंडा के पिता थे और बाद में इस मामले में योगेश उर्फ़ टुंडा को भी गिरफ्तार किया गया। स्थिति आख्या के अनुसार, जांच के दौरान, प्रेम

चंद पुत्र ललन नाम के एक गवाह से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 तथा धारा 164 के तहत पूछताछ की गई थी और गवाह ने कहा था कि उसने वर्तमान याचिकाकर्ता की अपने कोविड टेस्ट के लिए सहायता की थी और आगे कहा कि उसे अपने मोबाइल फोन पर याचिकाकर्ता की कोविड नकारात्मक आख्या प्राप्त हुई थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने टेस्ट के दौरान उसका मोबाइल नंबर दिया था और कहा कि उन्होंने वर्तमान याचिकाकर्ता की कोविड नकारात्मक आख्या को व्हाट्सएप के माध्यम से अग्रेषित किया था। राज्य ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को गवाह प्रेमचंद से कोविड नकारात्मक आख्या प्राप्त हुई थी और यद्यपि आवेदक को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी पिछली अग्रिम जमानत याचिका को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 26.08.2021 को खारिज कर दिया था।

8. वर्तमान ज़मानत अर्ज़ी में आदेश दिनांक 07.09.2021 के माध्यम से आवेदक की ओर से किए गए निवेदन के मद्देनजर कि वह अपना मोबाइल फोन जांच एजेंसी को सौंपने को तैयार है, गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को एक अंतरिम उपाय के रूप में रिहा करने का निर्देश दिया गया था, जो इन नियमों और शर्तों के अधीन था कि:

> *"• वह आज ही शाम 4:30 बजे तक जांच अधिकारी, थाना विशेष शाखा, लोधी रोड के समक्ष पेश होगा;*
> *• वह किसी भी परिस्थिति में दिल्ली शहर नहीं छोड़ेगा;*
> *• वह अपना मोबाइल फोन हर समय चालू रखेगा;*
> *• वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका स्थान जांच अधिकारी के पास उपलब्ध है, गूगल मैप पर एक पिन डालेगा;*
> *• वह कोई भी अपराध नहीं करेगा।"*

जो आदेश दिनांक 9.9.2021, 14.9.2021, 16.9.2021 और 20.09.2021 के आदेश द्वारा बढ़ाए जाने के बाद आज तक अस्तित्व में है।

9. वर्तमान अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी में किए गए निवेदनों के दौरान, आवेदक की ओर से एक निवेदन यह किया गया था कि वह अपना मोबाइल जांच एजेंसी को सौंपने के लिए तैयार है, क्यूंकि राज्य की

ओर से किए गए निवेदन यह थे कि गौरव अग्रवाल के दिनांक 17.06.2021 के इन्केशाफी बयान के अनुसार, सह-अभियुक्त, यानी आवेदक ने उक्त सह-अभियुक्त गौरव अग्रवाल को एक व्हाट्सएप कॉल किया था और गौरव अग्रवाल की मां के मोबाइल फोन पर अपनी कोविड आख्या भेज दी थी जिस आख्या को गौरव अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता को इस जानकारी के बावजूद अग्रेषित किया था कि उक्त आख्या झूठी थी और इस कोविड आख्या के आधार पर, अधिवक्ता ने अभियुक्त योगेश की ज़मानत अर्ज़ी दायर की थी जिसके बाद, सह-अभियुक श्री गौरव अग्रवाल को अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया था कि पुलिस ने अदालत को सूचित किया है कि योगेश के पिता अर्थात आवेदक की कोविड आख्या झूठी थी। उसके इन्केशाफी बयान के अनुसार, उक्त गौरव अग्रवाल ने कहा कि वह डर गया था और उसने योगेश और उसके पिता यानी वर्तमान आवेदक से प्राप्त सभी संदेशों को उड़ा दिया था और व्हाट्सएप कॉल, आख्या और

संदेशों के साथ साथ उस आख्या को भी उड़ा दिया था जिसे उसने अधिवक्ता को भेजा था।

10. आवेदक की ओर से इस प्रकार यह निवेदन किया गया है कि गौरव अग्रवाल का इन्केशाफी बयान आवेदक को किसी भी तरह से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्यूंकि गौरव अग्रवाल ने इन्केशाफ़ किया कि उन्होंने योगेश और उनके पिता, यानी वर्तमान आवेदक से प्राप्त सभी संदेशों को अपनी मां के मोबाइल से उड़ा दिया था और व्हाट्सएप कॉल और संदेशों के साथ साथ जो आख्या प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने अधिवक्ता को भेज दिया था उसे भी उडा दिया।

11. अपनी स्थिति आख्या दिनांक 13.9.2021 के माध्यम से, राज्य द्वारा यह कहा गया था कि स्पाइस हेल्थ द्वारा कथित रूप से जारी वर्तमान आवेदक की दिनांक 26.5.2021 की कोविड पॉजिटिव आख्या आवेदक के मोबाइल फोन के अनुसार, उसे एक केके नंबर 8882760812 से प्राप्त हुई थी। राज्य की ओर से यह कहा गया कि यह मोबाइल नंबर गौरव अग्रवाल का है लेकिन राज्य ने अभी तक

इसका सत्यापन नहीं किया है। आवेदक की ओर से यह स्पष्ट तर्क है कि यह नंबर 8882760812 न तो आवेदक का है और न ही गौरव अग्रवाल का है।

12. स्थिति आख्या के साथ-साथ आवेदक के पक्ष में कथित रूप से जारी स्पाइस हेल्थ लैब की दिनांक 26.5.2021 की कोविड पॉजिटिव आख्या भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि आवेदक कोविड से पीड़ित था और इस दस्तावेज़ पर यह उल्लेख किया गया है कि कोविड सकारात्मक आख्या का पीडीएफ प्रिंटआउट याचिकाकर्ता द्वारा एक अमांडा स्टूडियो को भेजा गया था, जिसके स्टूडियो की नंबर 9416315355 बताया गया था।

13. राज्य ने दिनांक 13.9.2021 की स्थिति आख्या के माध्यम से एक केके (8882760812) से 27.5.2021 को व्हाट्सप पर याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त याचिकाकर्ता के फोन में खोली गई सकारात्मक कोविड आख्या की पीडीएफ फाइल का स्क्रीनशॉट और 27.5.2021 को व्हाट्सएप पर याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त व्हाट्सएप में याचिकाकर्ता के

फोन में मौजूद कोविड पॉजिटिव आख्या की पीडीएफ फाइल का प्रिंटआउट भी प्रस्तुत किया था। इसी तरह, राज्य ने 27.5.2021 को एक अमांडा स्टूडियो (9416315355) को व्हाट्सएप पर याचिकाकर्ता द्वारा अग्रेषित याचिकाकर्ता के फोन में खोली गई कोविड पॉजिटिव आख्या की पीडीएफ फाइल के स्क्रीन शॉट और व्हाट्सएप में याचिकाकर्ता के फोन में मौजूद कोविड पॉजिटिव आख्या की पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा 27.05.2021 को व्हाट्सएप पर एक अमांडा स्टूडियो (9416315355) पर भेजा गया है को भी रिकॉर्ड में रखा है।

14. केके (8882760812) के संपर्क विवरण के स्क्रीन शॉट्स और केके और याचिकाकर्ता यानी आवेदक के बीच व्हाट्सएप चैट/फोटो, को भी राज्य द्वारा अमांडा स्टूडियो और याचिकाकर्ता के संपर्क विवरण सहित रिकॉर्ड पर रखा गया था। राज्य ने याचिकाकर्ता की नकारात्मक कोविड आख्या को भी रिकॉर्ड में रखा है।

15. दिनांक 15.9.2021 की स्थिति आख्या के माध्यम से, राज्य ने गवाह प्रेम चंद की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दिनांक 31.7.2021 के बयान तथा इसी गवाह के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दिनांक 6.8.2021 के बयान को रिकॉर्ड पर रखा है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दिनांक 31.7.2021 के बयान में गवाह प्रेम चंद ने कहा कि मामला दिनांक 25.5.2021 का है और वह डाबरी मोड़ के मोहल्ला क्लीनिक हब में काम करता था और डाटा एंट्री करता था और उसका दोस्त दीपक तोमर कश्मीरी गेट के मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहा था और उसके दोस्त दीपक तोमर ने उसे अपने रिश्तेदार का कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा था जिसे उन्होंने, यानि प्रेम चंद ने करवाने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके मोहल्ला क्लिनिक में रक्त परीक्षण किए जाते हैं और कोई कोविड परीक्षण नहीं हिता है और उन्होंने अपने दोस्त को टिकरी बॉर्डर पर परीक्षण करवाने के लिए कहा था और यह कि वह, प्रेम चंद, टिकरी बॉर्डर बस स्टैंड

गए थे और उन्होंने राजेंद्र (यानी, यहां आवेदक) का कोविड परीक्षण करवाया था जो वर्तमान प्राथमिकी में सह आरोपी दीपक के दोस्त गौरव अग्रवाल का चाचा था।

16. श्री प्रेम चंद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत बयान के माध्यम से यह भी कहा गया था कि टिकरी बार्डर स्थित बस स्टैंड के कैंप में टेस्ट किया गया और उक्त टेस्ट के लिए श्री प्रेम चंद का नंबर (मोबाइल नंबर का स्पष्ट संदर्भ) दिया गया था, दो दिनों के बाद, प्रेम चंद को आख्या मिली, जिसमें नकारात्मक परिणाम दिखाया गया था, जिसे उन्होंने सूचित किया था और कहा कि उन्होंने केवल मदद की थी।

17. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दिनांक 6.8.2021 के बयान के माध्यम से उक्त गवाह प्रेम चंद ने दोहराया कि वह मोहल्ला क्लिनिक में डाबरी मोर पॉकेट 7 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है जहां उन्होंने कहा कि खून और पेशाब के नमूने जमा किए जाते हैं और उनकी डेटा प्रविष्टि करने के

बाद उन्हें मुख्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है और दीपक तोमर नाम के कॉमन फ्रेंड का जिक्र किया जो गौरव नाम के कॉमन फ्रेंड के चाचा का कोविड टेस्ट करवाना चाहता था और यह कि दीपक तोमर के बताने के हिसाब से राजेंदर, यानी आवेदक एमसीडी में काम करता था, उन्हें कोविड के लक्षण थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रेम चंद ने उन्हें सूचित किया कि उनके स्थान पर केवल खून और पेशाब के नमूने लिए जाते हैं, न कि कोविड के और दीपक तोमर ने प्रेम चंद को पता लगाने के लिए कहा जिसके बाद उन्होंने पता लगाया कि टिकरी बॉर्डर बस स्टैंड पर लगे शिविर में भी यह हो सकता है। और यह कि उसके दोस्त दीपक ने उसे वृद्ध व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा क्योंकि उसे पेशाब की समस्या थी और इस तरह 25.5.2021 को वह, प्रेम चंद, राजेंद्र, यानी आवेदक की मदद करने के लिए टिकरी बॉर्डर पर गया, जहां गौरव उन्हें लेकर आया था और परीक्षण के दौरान गौरव ने श्री प्रेम चंद का नंबर लिखा था, जिसे वह, प्रेम चंद, नहीं जानते थे और दो दिनों के बाद उन्हें राजेंद्र के जनकपुरी के पते के

साथ कोविड लिंक मिला, जिसमें कोविड नकारात्मक आख्या थी और उन्होंने, प्रेम चंद ने, इस कोविड नकारात्मक आख्या को एक PDF के माध्यम से राजेंद्र को अग्रेषित किया था और गौरव को कोविड नकारात्मक आख्या के बारे में फोन पर सूचित भी किया था और कुछ दिनों के बाद स्पेशल सेल ने उनसे टेलीफोन पर पूछताछ की और उन्हें राजेंद्र की तस्वीर भी दिखाई, जिसे उन्होंने पहचाना था और उन्होंने अर्थात प्रेमचंद ने, राजेंद्र की तस्वीर पर हस्ताक्षर किए थे।

18. आवेदक की ओर से यह स्पष्ट तर्क है कि प्रेमचंद के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दिनांक 31.7.2021 और 6.8.2021 के बयान में सुधार और बदलाव हैं। आवेदक की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी में पक्षकारों के विवरण के अनुसार आवेदक अलीपुर का निवासी है और यह कि आवेदक की कथित तौर पर कोविड पॉजिटिव आख्या में जनकपुरी का पता है और इस प्रकार आवेदक की ओर से यह निवेदन किया गया कि राज्य द्वारा स्थिति आख्या के माध्यम से प्रस्तुत की

गई कोविड सकारात्मक और नकारात्मक आख्या आवेदक का नहीं हैं और आवेदक को झूठा फंसाया गया है।

19. अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदक की ओर से यह निवेदन किया गया है कि चूंकि आवेदक ने पुलिस को मोबाइल फोन सौंप दिया है, और चूंकि कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाने के लिए जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किया गया हो कि आवेदक दिनांक 26.05.2021 की कोविड पॉजिटिव आख्या के उपयोगकर्ता के साथ किसी भी तरह से शामिल था न ही जांच एजेंसी द्वारा अभिलेख पर कोई ऐसा कुछ भी पेश किया गया जो यह दर्शाता हो कि आवेदक जाली सकारात्मक कोविड आख्या के उपयोगकर्ता के साथ शामिल था न ही आवेदक द्वारा उसके किसी **जालसाजी** का संकेत देने के लिए कुछ था न ही आवेदक द्वारा किसी झूठे कोविड प्रमाण पत्र को सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करने का प्रयास करके कोई भ्रष्ट उपयोग किया गया था न ही आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई घोषणा की गई थी कि वह कोविड 19 से पीड़ित था, और यह भी

इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि आवेदक ने कोविड सकारात्मक प्रयोगशाला आख्या का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास किया था जिसे वह जानता था कि वह किसी भी तरह से गलत है और आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों में से कोई भी सात साल से अधिक दंडनीय नहीं है और इस प्रकार आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

20. आवेदक की ओर से यह यह भी निवेदन किया गया कि **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होगा और यह कि आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि आवेदक न्यायालय द्वारा लगाए गए सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

21. राज्य की ओर से राज्य के विद्वान एपीपी द्वारा यह निवेदन करते हुए अर्ज़ी का घोर विरोध किया गया कि राज्य को अनिवार्य रूप

से स्पाइस हेल्थ लैब द्वारा जारी किए गए झूठे प्रमाण पत्र बनाने और इस तरह की जालसाजी में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की बरामदगी के लिए वर्तमान मामले में कथित साजिश के पहलू के संबंध में पूछताछ और जांच करनी है और यह कि आवेदक की मिलीभगत को गवाह प्रेम चंद के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत बयान के माध्यम से सामने लाया गया है।

22. **<u>अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर याचिकाकर्ता की ओर से निर्भरता के संबंध में, उक्त फैसले के पैराग्राफ 7.1, 7.2 और 7.3 पर ध्यान देना आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैं:-

> *"**7.1.** पूर्वोक्त प्रावधान पर नज़र डालने से, यह स्पष्ट है कि जुर्माना सहित अथवा बिना जुर्माना सात साल से कम या सात साल तक की अवधी के कारावास के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्वोक्त दंडनीय अपराध किया है। **गिरफ्तारी से पहले एक पुलिस अधिकारी को ऐसे मामलों में और संतुष्ट होना पड़ेगा** कि ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए; या मामले*

की उचित जांच के लिए; ***या अभियुक्त को अपराध के साक्ष्य गायब करने; या इस तरह के सबूत के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता,*** *आवश्यकता अनुसार अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, ऐसी गिरफ्तारी ज़रूरी है। ये ऐसे निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।*

(जोर दिया गया)

7.2. *कानून पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में तथ्यों को बताने और उन कारणों को दर्ज करने का अधिकार देता है जिसके कारण वह इस तरह की गिरफ्तारी करते समय पूर्वोक्त प्रावधानों में से किसी एक में शामिल निष्कर्ष पर पहुंचे। कानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है।*

7.3. *सारांश यह है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को खुद से सवाल करना चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों? क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यह किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा? इन प्रश्नों से निपटने और ऊपर वर्णित एक या अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद ही गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। संक्षेप में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास सूचना और तथ्य के आधार पर विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। इसके अलावा,*

पुलिस अधिकारी को इससे भी संतुष्ट होना होगा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।"

23. दोनों पक्षों की ओर से किए गए निवेदन पर विचार करने पर, हालांकि राज्य ने अभी तक यह सत्यापित नहीं किया है कि मोबाइल नंबर 8882760812 गौरव अग्रवाल का है और राज्य को अभी भी यह सत्यापित करना है कि मोबाइल नंबर 9416315355 अमांडा स्टूडियो का है या नहीं बहरहाल राज्य की ओर से उचित निवेदन किया गया है कि झूठी कोविड 19 आख्या बनाने की कथित साजिश की श्रृंखला में कड़ियों का पता लगाने और ऐसे जाली प्रमाण पत्र बनाने में प्रयुक्त उपकरणों की बरामदगी और एमसीओसी अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी संख्या 252/2018 थाना अलीपुर में अंतरिम जमानत पर आवेदक के कोविड 19 से पीड़ित होने के फर्जी आधार पर अपने बेटे योगेश उर्फ़ टुंडा की रिहाई के लिए इस तरह के धोखाधड़ी से न्यायलय में इसके इस्तेमाल के लिए हिरासत में पूछताछ के लिए आवेदक की उपस्थिति आवश्यक है और अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी को इस प्रकार खारिज

किया जाता है और आदेश दिनांक 7.9.2021 के माध्यम से दी गई और उसके बाद बढ़ाई गई अंतरिम सुरक्षा वापस ली जाती है। राज्य की केस डायरी वापस करने का निर्देश दिया है।

हालांकि यहां ऊपर कही गई कोई बात मामले की विचारण के गुण या दोष को प्रभावित नहीं करेगी।

न्या. अनु मल्होत्रा

21 सितम्बर 2021/ एसवी

(SUVAS :AI Tool through Translation has been done)

अस्वीकरण :*देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*